

अध्याय - 24

व्यावसायिक प्रशिक्षण में विदेशी सहयोग

24.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने राष्ट्रीय विकास के लिए रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को जाना है। परस्पर सहयोग को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने ईरान गणराज्य, तथा मोजाम्बीक गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किए तथा केन्या एवं मॉरीशस के प्रतिनिधि मंडलों हेतु दौरों का आयोजन किया गया।

भारत एवं ईरान के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

24.2 भारत गणराज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम एवं सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के महत्व को समझते हुए 25 जनवरी, 2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 के अनुसार, निम्न प्रकार से सहयोग किया जाएगा:

- अध्ययन दौरों, सूचना, अनुभव तथा दस्तावेजों सहित आपसी दौरे।
- विशेषज्ञों द्वारा परामर्श कार्य-कलाप।
- दोनों देशों में होने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को भेजा जाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से आयोजित करना।

24.3 इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम एवं सामाजिक मामला मंत्रालय, श्रम एवं सामाजिक मामला मंत्री महामहिम श्री सैय्यद सफ्दर हुसैनी, की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने 28 अगस्त से 31 अगस्त, 2003 तक भारत का दौरा किया तथा श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम पर व्यापक विचार-विमर्श किया। शिष्टमंडल ने स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया।

24.4 समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया गया।

24.5 संयुक्त कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक तेहरान में 26-28 अप्रैल, 2004 के दौरान आयोजित की गई। दोनों पक्ष भारत और ईरान के अनुदेशकों, विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षुओं हेतु श्रम संबंधी मुद्दों पर पाठ्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करने पर सहमत हो गए।

24.6 इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम एवं सामाजिक मामले मंत्रालय के 15 अधिकारियों हेतु श्रम जगत में उभरती हुई चुनौतियों पर वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में 6 से 9 दिसम्बर, 2004 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में चर्चा में श्रम बाजार सूचना प्रणाली पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

भारत तथा मोजाम्बीक के बीच समझौता ज्ञापन।

24.7 मोजाम्बीक के श्रम मंत्री महामहिम श्री मारियो लैम्पियो सेवेन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय शिष्ट मंडल ने 21 से 27 अप्रैल 2003 तक भारत का दौरा किया। तत्पश्चात, माननीय श्रम मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने अगस्त 2003 में मोजाम्बीक का दौरा किया तथा 23 अगस्त, 2003 को रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शामिल किए क्षेत्र हैं: रोजगार सांख्यिकी, रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण; असम तथा अरुणाचल प्रदेश व्यावसायिक प्रशिक्षण; कार्यस्थल पर एच आई वी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई; सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासी श्रम।

24.8 मोजाम्बीक को व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में तकनीकी सुविज्ञता प्रदान करने के लिए सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। ये क्षेत्र हैं: सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को विकसित एवं आधुनिक बनाने हेतु तकनीकी सहायता; प्रवासी श्रम हेतु नीतियों तैयार करने में सहायता देना, कार्यक्षेत्र पर एच आई वी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई तथा इस क्षेत्र में अनुभव में भागीदार होना तथा विश्वसनीय रोजगार तथा बेरोजगारी सांख्यिकी तैयार करने के लिए सांख्यिकीय प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग।

24.9 समझौता ज्ञापन में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यकलापों के कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूह (जे डब्ल्यू जी) के गठन की परिकल्पना की गई है। संयुक्त कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक मोजाम्बीक में मापुओ में 12-16 अप्रैल, 2004 के दौरान आयोजित की गई। सचिव, श्रम और रोजगार की अध्यक्षता में भारतीय शिष्टमंडल मोजाम्बीक के माननीय श्रम मंत्री महामहिम डा. मारियो लैम्पियो सेवेन से मिला तथा उन्हें दौरे का उद्देश्य तथा भारत सरकार की इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दोस्ती एवं सहयोग का हाथ बढ़ाने की भारत सरकार की तीव्र इच्छा के बारे में बताया। महामहिम डा० सेवेन ने यह कहते हुए भारतीय शिष्टमंडल का स्वागत किया कि इस दौरे से दोनों देशों के मध्य स्थायी संबंध मजबूत होंगे। महामहिम ने उभरते हुए रोजगार अवसरों का लाभ उठाने तथा निर्धनता से लड़ने में मददगार कुशल जनशक्ति तैयार करने में भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने महसूस किया कि मोजाम्बीक में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन की गहन आवश्यकता है जिसमें भारत मदद कर सकता है। प्रत्युत्तर में, सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने उस सहायता पैकेज से अवगत कराया जिसे भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में

(i) भारत 10 मोजाम्बीक अनुदेशकों को भारत में 3 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण देगा। मोजाम्बीक सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा लागत (मोजाम्बीक से भारत) मोजाम्बीक सरकार द्वारा वहन की जाएगी। रहना-खाना, स्थानीय यात्रा, प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य प्रशिक्षण लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) इसके अतिरिक्त, दो भारतीय अधिकारियों को दो माह के लिए मोजाम्बीक भेजा जाएगा जिनमें से एक रोजगार सृजन, योजना एवं सांख्यिकी में विशिष्टता प्राप्त तथा अन्य रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की पुनः इंजीनियरी में विशिष्टताप्राप्त होगा ताकि मेजबान देश में बुनियादी आवश्यकता का मूल्यांकन हो सके तथा कार्य योजना तैयार करने में मदद मिल सके। भारत में उनका वेतन अंतरराष्ट्रीय यात्रा लागत तथा जेब खर्चों को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मोजाम्बीक सरकार स्थानीय लागतों जैसे रहना-खाना, स्थानीय यात्रा आदि को वहन करेगी।

24.10 मोजाम्बीक के स्थायी श्रम सचिव ने संयुक्त कार्यकारी समूह में विचार-विमर्श के संदर्भ में अपनी पूर्ण संतुष्टि दर्शाई तथा भारतीय शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के बारे में मोजाम्बीक सरकार की स्वीकृति दी। प्रत्युत्तर में केन्द्रीय श्रम सचिव ने इंगित किया कि मोजाम्बीक सरकार मोजाम्बीक में एक अथवा 2 भारतीय अधिकारियों को रखने या भारत में एक

अथवा 2 मोजाम्बीक अधिकारियों को भेजने पर विचार कर सकती है। उन्होंने मोजाम्बीक शिष्टमंडल को संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जिसे 10-11 माह के उपरांत आयोजित किया जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद (एनआईटीसी) तथा केन्या के मानव संसाधन विकास विभाग के छह सदस्यीय दल का दौरा।

24.11 श्रम और रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद (एनआईटीसी) तथा केन्या के मानव संसाधन विकास विभाग के छह सदस्यीय दल ने 11 से 12 मई, 2005 तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (रो.एवं प्र. महानिदेशालय) श्रम और रोजगार मंत्रालय का दौरा किया। अध्ययन दौरे का उद्देश्य पहले से रोजगार प्राप्त कुशल कामगारों के प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना था। स्कूल छोड़ने वालों एवं महिला प्रशिक्षण पर रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिनिधि मंडल को प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तीन दौरों का आयोजन किया गया।

24.12 निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित संस्थान-डॉन बास्को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान-स्कूल छोड़ने वालों को प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते हैं।

24.13 विशेष रूप से महिलाओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नौएडा। यह संस्थान स्कूल छोड़ने वालों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ उच्च एवं अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

24.14 दिल्ली राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अरब की सराय, दिल्ली अनेक व्यवसाय क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने वालों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।

24.15 केन्या प्रतिनिधिमंडल ने महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। दल के सदस्यों का यह विचार था कि तीनों दौरे अत्यधिक सूचनाप्रद थे एवं वे यह सिफारिश करेंगे कि उनके

तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय के रोजगार पूर्व प्रशिक्षण से सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में परस्पर लाभ हेतु भारत का दौरा करें।

औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड (आईवीटीबी), मौरिशस दल का दौरा

24.16 औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड (आईवीटीबी), मौरिशस के दल ने 31 मई, 2005 को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (रो.एवं प्र.महा.) का दौरा किया। दौरे का प्रयोजन दोनों देशों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थ आई.वी.टी.बी, मौरिशस तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन की सम्भावनाओं का पता लगाना है। विचार-विमर्श के पश्चात यह अनुभव किया गया कि निम्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा आई.वी.टी.बी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं:

- अधिकारियों तथा विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन दौरों सहित दौरों का आदान-प्रदान।
- सूचना, अनुभव तथा दस्तावेजों का आदान-प्रदान।
- विशेषज्ञों द्वारा परामर्शदायी कार्य-कलाप।
- दोनों देशों में होने वाली संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को भेजना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संयुक्त से आयोजित करना।
- संशोधन सहित पाठ्यचर्या विकास कार्य-कलाप।
- जिन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है उनमें सक्षमता की दस्तावेज सूची।
